



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पीआरवी टीम की तत्परता से बचायी जा सकी गम्भीर रूप से घायल लोगों की जान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के सफल पर्यवेक्षण में यू०पी० 112 पुलिस द्वारा लगातार जनपद वासियों को तत्काल सहायता हेतु पुलिस सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके क्रम में आज दिनांक 19.05.2021 को पीआरवी 1251 थाना कबरई व पीआरवी 1254 थाना कोत० अन्तर्गत टीम द्वारा निम्नांकित सराहनीय कार्य किये गये जिसका विवरण निम्नवत है...

प्रकरण-1. पीआरवी-1251 थाना कबरई अन्तर्गत अपने निर्धारित प्वाइंट पर थी तभी एक राहगीर ने बताया कि नहदौरा में एक ट्रक पलट गया है। पीआरवी कर्मियों अविलम्ब कन्ट्रोल रूम को सूचित करते हुए फील्ड इवेंट (00791) बनाकर मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक ट्रक अनियन्त्रित होकर पलट गया है जिसमें चालक व परिचालक गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं। पीआरवी कर्मियों ने तत्काल दोनों को पीआरवी में लादकर अस्पताल पहुंचाया तथा परिजनों के सूचित किया, पीआरवी के इस कार्य से दोनों गम्भीर घायलों 1. दुर्जन पुत्र पन्ना लाल 2. राजू पासी पुत्र पुत्तिलाल नि० रामसनेही घाट जनपद बाराबंकी को अल्प समय में अस्पताल पहुंचाया जिससे उनकी जान बच सकी।

पीआरवी स्टाफ:-

कमाण्डर- हे०का० आनंद प्रसाद मौर्य **सब कमाण्डर-** का० पंकज **सब कमाण्डर-** राम सिंह
पायलट- का० सुनील सिंह चौहान

प्रकरण.2. पीआरवी 1254 थाना कोत० अन्तर्गत अपने निर्धारित प्वाइंट पर थी कि कॉलर श्री राजकुमार द्वारा सूचना मिली कि कानपुर हाइवे साहू पेट्रोल पम्प के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, इस सूचना पर पीआरवी कर्म (इवेंट- 02229) अविलम्ब 06 मिनट में मौके पर पहुंचे तो देखा कि बाइक व

साइकिल की टक्कर में दो बाइक सवार व एक साइकिल सवार कुल तीन व्यक्ति घायल हो गये हैं, जिसमें बाइक चालक व साइकिल सवार गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, जो बेहोशी की हालत में थे। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल दोनों गम्भीर घायलों को पीआरवी में लादकर जिला अस्पताल पहुंचाया तथा एक अन्य घायल को स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाते हुये परिजनों को सूचित किया, पीआरवी के इस कार्य से दोनों गम्भीर घायलों 1. आबिद पुत्र मकदूल खां नि० कांशीराम कालोनी एस.पी. आवास के पीछे जनपद महोबा 2. रमेश पुत्र रामविशाल नि० कबरई जनपद महोबा 3. प्रेमचन्द्र पुत्र हरदीन नि० बारीगढ़ जनपद छतरपुर म.प्र. को अल्प समय में अस्पताल पहुंचाया जिससे उनकी जान बच सकी।

पीआरवी स्टाफ:-

कमाण्डर- हो०का० राजकुमार सिंह **सब कमाण्डर-** का० आलोक कुमार
पायलट- हे०का० मुमताज अहमद





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेश तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निर्देशन में **SHO** खरेला श्री विजय सिंह द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर आज दिनांक 19.05.2021 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 42/21 धारा 354(क)504/506 भा०द०वि० व 08 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित वांछित अभियुक्त कल्लू पुत्र पंचम सिंह गौतम नि० ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद उम्र करीब 35 वर्ष को मरही माता के मंदिर के पास बहद ग्राम पहरेथा थाना खरेला जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित मां० न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस बल...

1. उ०नि० जाकिर अली
2. का० हरेन्द्र कुमार

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का विवरण...

कल्लू पुत्र पंचम सिंह गौतम उम्र करीब 35 वर्ष नि० ग्राम बरांय थाना खरेला जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 19.05.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पैदल गस्त करके शहर में कराया जा रहा लॉकडाउन का पालन

आज दिनांक 19.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के साथ शहर में पैदल गस्त करके लोगो से लॉकडाउन व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की गई एवं मास्क का प्रयोग करने व हाथों को बार-बार धोने व भीड़-भाड वाली जगहो पर न जाने को कहा गया। जनपद के समस्त थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके लोगो को उक्त नियमों को पालन करने की अपील की गई। यातायात नियमो के उल्लंघन पर **10 ई-चालान व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर 35 व्यक्तियों से 11450/-रु० शुल्क वसूल किया गया।**

